



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227960
CG-DL-E-29062021-227960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2408]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ़ 7, 1943

No. 2408]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

का.आ. 2599(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के बारामुल्ला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-1 के कि.मी. 17+400 से 101+000 कि.मी. तक (श्रीनगर-बारामुल्ला-उरी मार्ग) सेक्शन-1C (संग्रामा-फ्लाईओवर) (संसोधित रिपोर्ट) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बारामुल्ला, जिला बारामुल्ला, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा

और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जिले बारामुल्ला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-1 के
कि.मी. 17+400 से 101+000 कि.मी. तक (श्रीनगर-बारामुल्ला-उरी मार्ग) सेक्शन-1C (संग्रामा-फ्लाईओवर)
(संसोधित रिपोर्ट) के निर्माण के लिए
भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: बारामुल्ला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सोपोर					
गांव का नाम: संग्रामा					
1	389Min	निजी(शामिलात देह)	बंजरी कदीम	0.0384000(हेक्टेयर)	0.0384000
2	664	निजी(शामिलात देह)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0017000(हेक्टेयर)	0.0017000
3	665Min	निजी(शामिलात देह)	गैर मुमकिन दुकानात	0.0389000(हेक्टेयर)	0.0389000
4	665Min	निजी(शामिलात देह)	गैर मुमकिन दुकानात	0.0077000(हेक्टेयर)	0.0077000
5	714	निजी(शामिलात देह)	गैर मुमकिन दुकानात रोड और कब्रिस्तान	0.0463000(हेक्टेयर)	0.0463000
6	724Min	निजी(शामिलात देह)	गैर मुमकिन स्कूल	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
7	725	निजी(शामिलात देह)	गैर मुमकिन रास्ता	0.0011000(हेक्टेयर)	0.0011000
8	728	निजी(शामिलात देह)	श्मशान घाट	0.0860000(हेक्टेयर)	0.0860000
कुल				0.2555	0.2555

[फा. सं. 1/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2021

S.O. 2599(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/4 laning divided carriage Way), maintenance, management and operation of National Highway no. NH-1 in the stretch of land from Km. 17+400 to 101+000 Km. (Srinagar-Baramulla-Uri Road) Section-1C (Sangrama Flyover) (Corrigendam-Report) in the district of Baramulla, in the state of JAMMU & KASHMIR. (U.T.) hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Commissioner (Revenue) and Land Acquisition Officer Baramulla, District Baramulla, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 17+400 to Km. 101+000 (Srinagar-Baramulla-Uri Road) Section-1C (Sangrama Flyover) (Corrigendam-Report) of the National Highway NH-1 in the district of BARAMULLA in the state of JAMMU & KASHMIR. (U.T.).

State: JAMMU & KASHMIR			District: BARAMULLA		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Sopore					
Village: Sangrama					
1	389Min	Private(Shamilat Deh)	Banjari Kadim	0.0384000(Hectare)	0.0384000
2	664	Private(Shamilat Deh)	Gair Mumkin Rasta	0.0017000(Hectare)	0.0017000
3	665Min	Private(Shamilat Deh)	Gair Mumkin Dukanat	0.0389000(Hectare)	0.0389000
4	665Min	Private(Shamilat Deh)	Gair Mumkin Dukanat	0.0077000(Hectare)	0.0077000

5	714	Private(Shamilat Deh)	Gair Mumkin Dukanat Road and Graveyard	0.0463000(Hectare)	0.0463000
6	724Min	Private(Shamilat Deh)	Gair mumkin school	0.0354000(Hectare)	0.0354000
7	725	Private(Shamilat Deh)	Gram Mumkin Rasta	0.0011000(Hectare)	0.0011000
8	728	Private(Shamilat Deh)	Graveyard	0.0860000(Hectare)	0.0860000
Total				0.2555	0.2555

[F. No. 1/3A]
RAJESH GUPTA, Director